न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(श्याम लाल गुर्जर,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

राजस्व अपील संख्याः 01/2015

दायर दिनांकः 24.02.2015

निर्णय दिनांक 16.08.2018

—:अनवान:—

श्री किशोरीलाल पिता चम्पालाल गाडरी निवासी बोरज का खेड़ा तहसील व जिला राजसमंद

अपीलांट

—:बनाम:—

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,राजसमंद

रेस्पोण्डेंट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार ,राजसमंद प्रकरण संख्या 804/2013 सरकार बनाम किशोरीलाल निर्णय दिनांकः 24.09.2013 से व्यथित होकर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—

1— श्री जगदीश पुरोहित, अधिवक्ता अपीलांट

2— श्री कैलाशचन्द्र बौल्या,राजकीय अधिवक्ता रेस्पोण्डेंट

अपीलांट ने तहसीलदार,राजसमंद के आदेश दिनांकः 24.09.2013 से व्यथित होकर इस न्यायालय में यह प्रथम राजस्व अपील दिनांकः 11.09.2017 को पेश की गयी हैं,जिसके साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

संक्षेप में प्रस्तुत अपील के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि हल्का पटवारी के द्वारा तहसीलदार, राजसमंद के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट पेश की गयी की मौजा बोरज का खेड़ा तहसील राजसमंद स्थित आराजी नं0 445 रकबा 04 बिश्वा किस्म बाड़ा बिलानाम भूमि पर अपीलार्थी द्वारा कांटे की बाड़ बनाकर अवैध अतिक्रमण कर रखा हैं। अतः इनके विरूद्ध राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कराना फरमावें। उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार, राजसमंद के अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर आदेश दिनांकः 24.09.2013 के द्वारा अतिक्रमी घोषित किया जाकर प्रश्नगत आराजी से तत्काल बेदखल किये जाने एवं शास्ति स्वरुप रूपया 50/— आरोपित किये जाने का आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट के द्वारा यह अपील इस न्यायालय में धारा 75 अन्तर्गत राज0 भू—राजस्व अधिनियम,1956 के तहत इस आधार पर पेश की गयी हैं कि तहसीलदार, राजसमंद के द्वारा पारित आदेश विधिनुकूल नहीं हैं। अपीलांट का विवादग्रस्त भूमि पर काफी

वर्षो पुराना कब्जा हैं तथा मकान का निर्माण कर विकसित किया हैं। अपीलांट का मामला नियमन योग्य होते हुए भी इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और न ही सुनवाई का अवसर ही प्रदान किया गया। अतः तहसीलदार,राजसमंद द्वारा पारित आदेश अपास्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि का अपीलांट के नाम पर नियमन का आदेश फरमाया जावें।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोण्डेंट को अपना पक्ष रखने हेतु जरिये सम्मन् सूचित किया गया तथा तहसीलदार,राजसमंद से पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोण्डेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी।

अपीलांट के द्वारा अपील के प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब की माफी हेतु दफा 5 मयाद अधिनियम का प्रा0पत्र भी अपील के साथ पेश किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सुलभ न्याय के सिद्धान्त के अनुसरण में गुणावगुण पर अपील का विनिश्चय किया जाना हम न्यायोचित समझते हैं इसलिये विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को मयाद में शुमार किया जाता हैं।

अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपने अपीलीय मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अपीलांट के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर नोटिस प्रेषित किया और उसमें अपीलांट के विरुद्ध बैदखली के आदेश उसे सुने बगैर मनमकसूद तरीके से पक्ष रखने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बगैर ही पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश न्याय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं। अपीलांट का उक्त भूमि पर पिछले कई वर्षो से कब्जा आधिपत्य चला आ रहा हैं और पक्का निर्माण होने से एवं इतने वर्षो से नियमित कब्जा आधिपत्य होने से अपीलांट उक्त भूमि को नियमन कराने की पात्रता रखता हैं। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अभियान चलाकर ऐसे मामलों का नियमन किया हैं तथा ऐसे मामलों के नियमन किये जाने हेतु परिपत्र जारी कर नियमन किये जाने हेतु निर्देश भी प्रसारित किये गये हैं। राजस्व ग्रुप–6 विभाग द्वारा दिनांकः 10.01.2013 को जारी प्रपत्र अनुसार 500 वर्गगज तक की भूमि पर किये गये मकान निर्माण एवं बाड़े के संबंध में धारा 91 की कार्यवाही नहीं कर नियमन किये जाने के निर्देश हैं। अपीलांट का इस भूमि पर लम्बे समय से कब्जा आधिपत्य हैं और नियमन कराने का अधिकारी हैं। राज्य सरकार द्वारा बिलानाम भूमि पर नियमन करने हेतु परिपत्र कमांकः प–6(7)राज–4/77/2 दिनांकः 11.01.2008 में सिवायचक भूमियों पर दिनांकः 15.07.1994 तक मकान व बाड़ा हेतु किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने के जारी निर्देशों में नियमन की अवधि दिनांकः 15.07.1994 से बढ़ाकर दिनांकः 01.01.2000 तक कर दिया गया हैं इसके पश्चात उक्त अवधि को वर्ष 2008 तक बढ़ाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान में निर्देश जारी किये जा चुके हैं तथा वर्तमान में दिसम्बर,2016 तक किये गये निर्माणों को नियमन करने के दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। अधिवक्ता अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि धारा 91 की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही होती हैं और इस कार्यवाही के जरिये किसी भी व्यक्ति को जो नियमित कब्जे में हैं बैदखल नहीं किया जा सकता हैं। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अपीलांट के मामले में वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का पुराना कब्जा होने से

मामला नियमन योग्य हैं। अंत में निवेदन किया कि अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार,राजसमंद का आदेश अपास्त किया जावें एवं प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड फरमाया जावें कि अपीलांट को जवाब,साक्ष्य व सबूत पेश करने व सुनवाई का अवसर दिया जाकर मामले का बाद जांच निस्तारण किया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा अवैध रुप से अतिक्रमण कर मकान निर्माण की गयी भूमि राजकीय बिलानाम भूमि हैं और बिलानाम भूमि पर किसी भी व्यक्ति द्वारा अवैध अतिक्रमण किये जाने पर तहसीलदार द्वारा धारा 91 की कार्यवाही जो कि संक्षिप्त कार्यवाही हैं को अपनाई जाकर बैदखल किये जाने का क्षेत्राधिकार हैं। अपीलांट की ओर से यह बताया गया कि उसका वादग्रस्त भूमि पर काफी लम्बे समय से कब्जा आधिपत्य हैं तो जब नोटिस मिला और अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ तब उसे अपने पक्ष के समर्थन में जवाब,साक्ष्य सबूत आदि के साथ उपस्थित होना चाहिए था और यह बताया जाना चाहिए की उसके द्वारा बिलानाम भूमि पर अवैध रुप से बनाये गये मकान का नियमन किस प्रकार से संभव हैं। ऐसे अवैध अतिक्रमण को नियमन किये जाने पर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण और बढ़ेंगे। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं होकर खारिज किये जाने योग्य हैं।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर गहन मनन किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा तहसील राजसमंद के राजस्व ग्राम बोरज का खेड़ा स्थित आराजी नम्बर 445 रकबा 04 बिश्वा बिलानाम भूमि पर अवैध रुप से अतिक्रमण किया जाना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट हैं। वादग्रस्त आराजी भूमि राजकीय बिलानाम भूमि होने से ऐसी राजकीय बिलानाम भूमि पर किये जाने वाले अवैध अतिक्रमणों के विरुद्ध धारा 91 अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 के तहत कार्यवाही की जाकर मौके से हटवाये जाने का क्षेत्राधिकार/दायित्व स्वयं तहसीलदार को प्रदत्त हैं। ऐसी स्थिति में तहसीलदार,राजसमंद द्वारा जो बैदखली का आदेश पारित किया गया हैं,वह न्यायोचित होना पाया जाता हैं। परिणाम स्वरुप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य होना पाया जाता हैं।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं तथा तहसीलदार,राजसमंद द्वारा पारित आदेश दिनांकः 24.09.2013 को यथावत रखा जाता हैं।

(श्याम लाल गुर्जर)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 16.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्याम लाल गुर्जर)
जिला कलक्टर
राजसमंद